राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 8(13)(8)ग्रावि/अनु–8/एसपीएमआरएम/फेज–3/2019 जयपुर, दिनांक 04.04.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
प्रतापगढ, बांसवाडा, डूंगरपुर व हनुमानगढ।

विषयः– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन) योजना के **तृतीय फेज** के 4 क्लस्टर्स के लिए केन्द्रीयांश व राज्यांश की **सीजीएफ** की **प्रथम किश्त** की राशि जिलों के पी.डी. खातों में हस्तांतरण की पुष्टि बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय की स्वीकृति संख्या 10030/2018–19 दिनांक 26.03.2019 में आपके कार्यालय के पीडी खाते का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग ने स्वीकृति संख्या **10074/2018–19 दिनांक 27.03.2019** के द्वारा "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूर्बन मिशन) योजना" के तृतीय फेज के तहत चयनित राज्य के 4 क्लस्टर्स के लिए सीजीएफ (Critical Gap Funding) की प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रीय सहायता की राशि रू. 1350 लाख तथा उसके लिए राज्य निधि की राशि रूपये 900.00 लाख, कुल राशि रू. 2250 लाख (राशि रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) को आपके जिलों को हस्तान्तरित करने हेतु सम्बन्धित कोषालयों को लिखा है। कृपया **लोकसभा चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराते हुए आपके जिले के कोषालय के द्वारा आपके कार्यालय के पीडी खाते में राशि हस्तान्तरण आदेश की प्रति इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करायें।**

भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीयांश की उक्त राशि रू. 1350 लाख की स्वीकृति दिनांक 30.1.2019 की शर्त संख्या 1(iii) में उल्लेख है कि Progress of work on ground as identified under the CGF and convergence amount (after approval of DPR by SLEC and DPR template by MoRD) as per schedule indicated in the ICAP and DPR. This should be to the extent of 60% of the CGF released तथा शर्त संख्या 1(viii) में उल्लेख है कि Furnishing of Utilization Certificate for 60% of the amount released following the heads indicated in (i) to (v) above generated through EAT Module, इन शर्तों सहित सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाये।

वित (व्यय–5) विभाग ने आईडी संख्या 331900261 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा इस विभाग को निर्देशित किया है कि सीजीएफ की राशि के उपयोग के लिए "वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.04.2018 की पालना सुनिश्चित करें, विभाग द्वारा व्यय योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों/तत्संबंधी नियमों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, विभाग द्वारा पी.डी. खाते से राशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जावे तथा बैंक में विनियोजन हेतु राशि का आहरण नहीं किया जायेगा। विभाग **आगामी रिलीज से पूर्व योजनान्तर्गत हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्रादि मय उपलब्ध अनुपयोजित अवशेष के संलग्न करते हुए पत्रावली पर अंकित करे, विभाग चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करे।**"

अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है, ताकि आगामी रिलीज के समय वित्त विभाग को प्रस्ताव उसी अनुसार प्रेषित किए जा सकें। क्लस्टरवार रिलीज राशि, व्यय राशि व अवशेष राशि का विवरण प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह के समाप्त होते ही इस कार्यालय को प्रेषित करवाने का श्रम करायें।

04/04/19
(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.)

लगातार ---2

«AddressBlock»

क्रमांक एफ 8(13)(8)ग्रावि / अनु—8 / एसपीएमआरएम / फेज—3 / 2019 जयपुर, दिनांक 4/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) / लेखा परीक्षा प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
5. निदेशक (बजट), वित्त विभाग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (जिला प्रतापगढ, डूंगरपुर, बांसवाडा) तथा बीकानेर (जिला हनुमानगढ)।
7. जिला कलक्टर, प्रतापगढ, बांसवाडा, डूंगरपुर तथा हनुमानगढ।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
9. प्रोग्रामर, (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को उपरोक्तानुसार आईडब्लूएमएस हेतु व योजना के परिपत्रों में अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

04/04/19

(हितवल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.)